

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014—श्रावण 10, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

अधि. क्र. भ. स. क. म. म.-2014-2441.—इस कार्यालय की संशोधन अधिसूचना क्रमांक भ. स. क. म. म.-2501, दिनांक 13 सितम्बर, 2013, भाग-4(ग) द्वारा "शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना, 2014" पूर्व में प्रकाशित की गई है, में सरल क्रमांक 3 शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के समक्ष सारणी के कॉलम-4 तथा 5 में निम्नानुसार पुनः संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में,—

1. सारणी के सरल क्रमांक—3

क्र. (1)	योजना (2)	प्रावधान (3)	(4)
1	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	कक्षा 1 से 5 छात्र-500/- छात्रा-800/- कक्षा 6 से 8 छात्र-1000/- छात्रा-1200/- कक्षा 9 से 12 छात्र-1200/- छात्रा-1700/-	शासकीय विद्यालयों में संबंधित शाला के प्राचार्य द्वारा तथा निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के प्राचार्य द्वारा.

के स्थान पर

क्र. योजना (1)	(2)	(3)	प्रावधान (4)
1	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	कक्षा 1 से 5 छात्र-500/- छात्रा-800/- कक्षा 6 से 8 छात्र-1000/- छात्रा-1200/- कक्षा 9 से 12 छात्र-1200/- छात्रा-1700/- स्नातक कक्षा छात्र-3000/- छात्रा-4000/- स्नातकोत्तर कक्षा छात्र-5000/- छात्रा-6000/- स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्र-6000/- छात्रा-8000/- स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक परीक्षा, पीएचडी तथा शोध कार्य छात्र-8000/- छात्रा-10,000/-	(i) शासकीय माध्यमिक शाला व समीपस्थ संबद्ध की गई शासकीय प्राथमिक शालाओं में—प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला, (ii) शासकीय हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला में—शाला प्राचार्य (iii) अशासकीय शालाओं में (कक्षा 1 से कक्षा 12 तक) —संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. सारणी के अंत में तथा नोट के पूर्व निम्नानुसार पैरा प्रतिस्थापित किया जाता है:—

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया:—

- (i) योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन प्राप्तकर्ता महाविद्यालय यदि शासकीय महाविद्यालय न होकर शासकीय मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय है तो ऐसी स्थिति में निजी महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा आवेदन-पत्र अपने प्रमाणीकरण सहित निर्धारित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
- (ii) तत्पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रकरण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रेषित किये जायेंगे तथा शहरी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रकरण संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे,
- (iii) पदाभिहित अधिकारियों अर्थात् आयुक्त, नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा आवेदनकर्ता विद्यार्थियों का पुनः पात्रता परीक्षण व प्राप्त सूची का परीक्षण कर राशि स्वीकृत करके संबंधित प्राचार्य को अकाउन्टपेयी चेक जारी किया जाएगा। तत्पश्चात् प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा छात्रों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी तथा संबंधित सूचना संबंधित पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

अधि. क्र. भ. स. क. म. म.-2014, 2441.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना, 2004 तथा दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना, 2004 में उल्लेखित प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं तथा पश्चावर्ती परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुये एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना, 2004 अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)—2004

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू करना.**—1.1 यह योजना “मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)—2004” कहलाएगी।

1.2 यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश से प्रभावशील होगी।

1.3 यह योजना अधिसूचना की धारा 22 (1) (च) सहपठित नियम, 2002 के नियम, 279 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1.4 यह योजना उन निर्माण कर्मकारों, जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में लगे हैं तथा अधिनियम की धारा—12 के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं एवं अधिनियम की धारा—13 के अधीन हिताधिकारी परिचय-पत्र धारक हैं, के तथा उनके परिवार के, उपचार (बीमारी अथवा दुर्घटना की स्थिति में) हेतु होगी। योजनांतर्गत परिवार निम्नानुसार परिभाषित है—पति, पत्नी, नाबालिक बच्चे, आश्रित माता-पिता एवं आश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री की बड़ी/गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अनुदान देने हेतु होगी।

2. **परिभाषित.**—इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

2.1 “अधिनियम” का आशय “भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)” से अभिप्रेत है।

2.2 “नियम 2002” का आशय “भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2002, से अभिप्रेत है।

2.3 “मण्डल” का आशय अधिनियम की धारा-18 के अधीन गठित “भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल” से अभिप्रेत है।

2.4 “सचिव” का आशय अधिनियम की धारा-19 के अधीन नियुक्त मण्डल के “सचिव” से अभिप्रेत है।

2.5 “हिताधिकारी/हितग्राही” का आशय उपरोक्त कंडिका 1.4 में उल्लेखित ऐसे निर्माण कर्मकार से है, जिनको यह योजना लागू होती है।

2.6 “अस्पताल” से अभिप्रेत राज्य बीमारी सहायता निधि तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त तथा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हेतु अधिकृत अस्पतालों से है।

2.7 (1) “प्राधिकृत चिकित्सक” से अभिप्रेत, राज्य शासन के अस्पताल का ऐसा चिकित्सक जिसको संबंधित रोग के उपचार हेतु शासन द्वारा भी प्राधिकृत किया गया हो, परंतु ऐसे स्थान पर जहां निर्माण कर्मकार कार्यरत है, रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो, वहां जो भी चिकित्सक उस अस्पताल में पदस्थ है, प्राधिकृत चिकित्सक होंगे।

2.8 “परिवार” से अभिप्रेत है।

2.8 (1) स्वयं हिताधिकारी

2.8 (2) हिताधिकारी की पत्नी/पति:

2.8 (3) हिताधिकारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित उसके माता-पिता तथा अवस्यक संतान जिसमें सम्मिलित है धर्मज संतान, रूप से गोद ली गई संतान तथा सौतेली संतान।

2.8 (4) आश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री

2.9 परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वाचन—उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का वही अर्थ/आश्रय होगा जो अधिनियम एवं नियम 2002 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं।

3. योजना का विवरण.—इस योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया है:—

- (i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना.
- (ii) राज्य बीमारी सहायता योजना.
- (iii) मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना.

जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता धारित करते होंगे, उन्हें संबंधित योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी और उन्हें देय समस्त हितलाभ राशि मण्डल की निधि से देय न होकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट में योजना अन्तर्गत उपलब्ध राशि से दी जाएगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो कि बी.पी.एल. श्रेणी या योजना अंतर्गत निर्धारित आय सीमा अंतर्गत नहीं होने से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बजट राशि से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं हैं, किन्तु सहायता प्राप्त करने हेतु योजना अन्तर्गत पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करते हैं, उन्हें सहायता राशि योजना अंतर्गत दी गई प्रक्रिया अनुसार मंडल के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से स्वीकृत की जाएगी।

4. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता राशि हेतु प्रक्रिया.—योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप, आवेदन के परीक्षण की प्रक्रिया, लाभ प्राप्ति हेतु पात्रता संबंधी अन्य मापदण्ड, उपचार हेतु चिकित्सालयों का निर्धारण, रेफरल संबंधी प्रक्रिया व अन्य सभी निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त चिकित्सा संबंधी योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए अनुसार ही होंगे।

5. पदाभिहित अधिकारी.—उक्त योजना अंतर्गत पदाभिहित तथा अपीलीय अधिकारी निम्न तालिका अनुसार होंगे:—

सेवा क्र.	सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपीलीय निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	चिकित्सा सहायता योजना	ग्रामीण क्षेत्र अ. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी राशि रु. 30,000 तक	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	ब. कलेक्टर राशि रु. 1 लाख तक (जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर) स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर) द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मण्डल
		स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. भ.स.क.क. मण्डल	15 कार्य दिवस	बोर्ड
		द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	20 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मण्डल	15 कार्य दिवस	बोर्ड
		शहरी क्षेत्र अ. सिविल सर्जन या अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल/संबंधित अस्पताल राशि रु. 30,000 तक	10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ब. कलेक्टर राशि रु. 1 लाख तक (जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	म.प्र.भ.स.क. क. मण्डल
		स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. भ.स.क.क.	—	बोर्ड
		द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	20 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. भ.स.क.क. मण्डल	—	बोर्ड

6. उक्त योजना अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी तथा अधिसूचना जारी होने की दिनांक को लंबित सभी प्रकरण इस अधिसूचना के अनुसार निराकृत किये जायेंगे.

एस.एस. दीक्षित, सचिव.